संख्या- 13/2025/2047/छप्पन-2024-12/2013

प्रेषक,

अभिनव कुमार चौरसिया,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक उड्डयन,
उ0प्र0, लखनऊ।

नागरिक उड्डयन अनुभाग लखनऊ: दिनांक: 23 जनवरी, 2025

विषय: गोरखपुर हवाई अड्डे पर डी0वी0ओ0आर0 शिफ्टिंग कार्य हेतु गोरखपुर वन प्रभाग के तिलकोनिया रेंज अन्तर्गत क0न0-5 में प्रस्तावित 4.0 है0 आरक्षित वन भूमि के बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति दिए जाने हेतु धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक- 298/आर0सी0एस0-2024-जी-1/2019 दिनांक 27 दिसम्बर, 2024 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा गोरखपुर हवाई अड्डे पर डी0वी0ओ0आर0 शिफ्टिंग कार्य हेतु गोरखपुर वन प्रभाग के तिलकोनिया रेंज अन्तर्गत रामगढ़ क0न0-5 में प्रस्तावित 4.0 है0 आरक्षित वन भूमि के बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति की शर्त संख्या-11 व 12 के अनुपालन हेतु रू0 2,11,29,200/- (रूपए दो करोड़ ग्यारह लाख उन्तीस हजार दो सौ मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति जिलाधिकारी, गोरखपुर के निवर्तन हेतु अवमुक्त करने का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2- सूच्य है कि वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या-3840/81-2-2022-800(141)/2023 दिनांक 30 नवम्बर, 2023 के माध्यम से नागरिक उड्डयन विभाग द्वारा गोरखपुर हवाई अड्डे पर डी0वी0ओ0आर0 के शिफ्टिंग कार्य हेतु गोरखपुर वन प्रभाग के तिलकोनिया रेंज के अन्तर्गत रामगढ़ क0नं0-05 में प्रस्तावित 4.0 हे0 आरक्षित वन भूमि के बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति भारत सरकार द्वारा प्रदत्त क्रमश: सैद्धान्तिक स्वीकृति/विधिवत स्वीकृति एवं राज्य सरकार की शर्तों/प्रतिबन्धों एवं मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेशों को सम्मिलित करते हुए अनुमति आदेश निर्गत किए गए हैं जिसकी शर्त संख्या-11 व 12 का अनुपालन किया जाना है, जिसका विवरण निम्नवत है:-

शर्त सं0	शर्त	शर्त के अनुपालन में निहित धनराशि	
11	प्रस्तावित आरक्षित वन भूमि का वर्तमान बाजार दर पर जिलाधिकारी से मूल्य निश्चित कराकर मूल्य के बराबर प्रीमियम व प्रीमियम का 10 प्रतिशत वार्षिक लीज रेंट लेकर पट्टाधारक को वन भूमि का कब्जा दिया जाएगा।	प्रीमियम - प्रीमियम का 10 प्रतिशत (वार्षिक लीजरेंट वर्ष 2023-24 हेतु) - लीज पर स्टाम्प देयता - निबन्धन शुल्क- कुल-	रू0 1,84,00,000/- रू0 18,40,000/- रू0 5,88,800/- रू0 2,94,400/- रू0 2,11,23,200/-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

https://shasanadesh.up.gov.in

12	पट्टाधारक द्वारा उक्त शर्तों एवं अन्य सामान्य शर्तों को सम्मिलित करते हुए एक पट्टाविलेख का आलेख्य प्रस्तुत किया जाएगा, जिसे शासकीय हस्तान्तरक से विधीक्षित करवाया जाएगा। ऐसे पट्टाविलेख के विधीक्षण हेतु न्याय कन्वेंसिंग कोष्ठक के प्रचिलित शासनादेश के अनुसार निर्धारित विधीक्षण शुल्क विधीक्षण से पूर्व लेखा शीर्षक ''0070-अन्य प्रशासनिक सेवायें-01-न्याय प्रशासन-501 सेवायें और फीस-01 की गयी सेवाओं के लिए भुगतान की उगाही'' के अन्तर्गत ट्रेजरी चालान के माध्यम से जमा किया जाएगा एवं ट्रेजरी चालान की प्रति पट्टाविलेख के आलेख्य के साथ उपलब्ध करायी जाएगी।		रू0 6000/-
		योग	रू0 2,11,29,200/-

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि गोरखपुर हवाई अड्डे पर डी0वी0ओ0आर0 शिफ्टिंग कार्य हेतु गोरखपुर वन प्रभाग के तिलकोनिया रेंज अन्तर्गत रामगढ़ क0न0-5 में प्रस्तावित 4.0 है0 आरक्षित वन भूमि के बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति की शर्त संख्या-11 व 12 के अनुपालन हेतु रू0 2,11,29,200/- (रूपए दो करोड़ ग्यारह लाख उन्तीस हजार दो सौ मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष सम्पूर्ण धनराशि रू0 2,11,29,200/- (रूपए दो करोड़ ग्यारह लाख उन्तीस हजार दो सौ मात्र) चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में व्यय की अनुमति सहित जिलाधिकारी, गोरखपुर के निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों/ प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करती हैं:-

(1) निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा प्रस्तावित धनराशि को आहरित कर किसी बैंक खाते में नहीं रखा जायेगा। अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा।

(2) निदेशक, नागरिक उड्डयन यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रायोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही कार्य कराया जाएगा। कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी निदेशक, नागरिक उड्डयन की होगी।

(3) निदेशक, नागरिक उड्डयन यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्ययोजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृति नहीं की गई है।

(4) बजट प्रावधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व निदेशक, नागरिक उड्डयन का होगा।

(5) निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/मद हेतु की जा रही है, उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य/मद हेतु किया जाएगा।

(6) निदेशक, नागरिक उड्डयन यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति नहीं हो रही है।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(7) निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 04 मार्च, 2024 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

(8) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जाएगा।

(9) स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष व्यय का विवरण निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा यथासमय शासन को उपलब्ध कराया जाएगा।

4- उक्तानुसार स्वीकृत की जाने वाली धनराशि रू0 2,11,29,200/- (रूपए दो करोड़ ग्यारह लाख उन्तीस हजार दो सौ मात्र) निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा तत्काल आवंटित कर जिलाधिकारी, गोरखपुर के निर्वतन पर रखी जाएगी और जिलाधिकारी, गोरखपुर द्वारा यथा आवश्यकतानुसार सम्बन्धित पक्ष को नियमानुसार भुगतान किया जाएगा।

5- उक्त धनराशि चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-38 के अधीन पूंजी लेखा लेखा शीर्ष ''5053-नागर विमानन पर पूंजीगत परिव्यय-02-विमानपत्तन-800-अन्य व्यय-20-हवाई पट्टियों के निर्माण, विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण तथा भूमि अर्जन-60-भूमि क्रय'' से वहन की जाएगी।

6- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या: E-7-235-X-2024-25, दिनांक 17 जनवरी, 2025 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किए जा रहे हैं।

भवदीय,
अभिनव कुमार चौरसिया
अनु सचिव

संख्या-13/2025/2047(1)/छप्पन-2024 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार-प्रथम (लेखा एवं हकदारी), प्रथम, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- उप महालेखाकार/ई0एस0-।।।, आडिट भवन, टीसी-35-वी-1, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-10.
3- प्रमुख सचिव, पर्यावरण**,** वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग**,** उ0प्र0 शासन।
4- मुख्य वन संरक्षक, गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर।
5- जिलाधिकारी, गोरखपुर।
6- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ/कोषाधिकारी, गोरखपुर।
7- प्रभागीय वनाधिकारी, गोरखपुर, वन प्रभाग, गोरखपुर।
8- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7/ पर्यावरण**,** वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2.
9- समीक्षा अधिकारी (बजट)/गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
अभिनव कुमार चौरसिया
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in